न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय कुमार , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 2021/158
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति अरोडा निवासी 12 जी छोटी हाल 2 ए 35 जवाहरनगर श्रीगंगानगर राज0

....वादी

ब ना म

1. बलविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति अरोडा निवासी 12 जी छोटी हाल 36 एच ब्लॉक श्रीगंगानगर राज0
2. बलबीर कौर पत्नी स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्र कौर पुत्री स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. तेज कौर पुत्री स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
7. एच. डी. एफ. सी. बैंक शाखा श्रीगंगानगर जरिये प्रबंधक।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री राजेश गुम्बर (वादीगण)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 6)

दिनांक 19 मई, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से 05 के पिता स्व0 जंगीर सिंह के नाम से चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 103/54, मुरब्बा नं0 2, 34, 48 में कुल तादादी 4.213 हैक्टे0 नहरी भूमि संयुक्त खाता की दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है। जंगीर सिंह की मृत्यु होने के कारण उसके वारिसान को प्रतिवादी सं0 02 ता 05 को पक्षकार बनाया गया है एवं वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 ता 05 के पिता स्व0 जंगीर सिंह के वारिसान की संयुक्त रूप से कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादाधीन सम्पति में वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 ता 05 के पिता स्व0 जंगीर सिंह के नाम से खाता संख्या 103/54, मुरब्बा नं0 2, 34, 48 में कुल तादादी 4.213 हैक्टे0 नहरी भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है और अर्सा दराज से आपसी सहमति से संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है। पूर्व में स्व0 जंगीर सिंह कब्जा अनुसार काश्त कर रहे थे और उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी भूमि पर उनके वारिसान प्रतिवादी सं0 02 ता 05 कृषि कार्य कर रहे हैं। परन्तु, वादी अपने नाम से अलग खाता दर्ज करवाना चाहता है। वादी अपने हिस्सा में भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है ताकि वादी को कृषि कार्य करवाने में सुविधा हो सके। वादी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग खाता दर्ज करवाना चाहता है इसलिए वादी अपनी कृषि भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को बार–बार उक्त कृषि के विभाजन के सम्बन्ध में निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि का बंटवारा करवा कर अलग–अलग खाता व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवें परन्तु प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे एवं दिनांक 20.12.2021 को साफ इंकार कर दिया है। प्रतिवादीगण बिना विभाजन करवाये विवादित कृषि भूमि हस्तान्तरण करना चाहते है, अगर प्रतिवादीगण इसी प्रकार

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये वादी को वाद लाना आवश्यक हो गया। वादीगण व प्रतिवादीगण की उक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए वाद श्रीमान न्यायालय क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावा वादीगण के पक्ष व विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 103/54, मुरब्बा नं0 2, 34, 48 में कुल तादादी 4.213 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता की भूमि में से वादी के नाम से 3098/4213 हिस्सा अर्थात् 3.098 है0 नहरी कृषि भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अलग खाता दर्ज करने व इसका लगान वादी के नाम से कायम करने का आदेश फरमाया जाकर वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

दिनांक 16.05.2023 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 16.05.2023 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष द्वारा पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे जमांबदी सम्वत् 2073–2076 चक 13 जी छोटी, पटवार हल्का 13 जी छोटी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर पेश की गई। अतः वाद वादी आशिंक रुप से स्वीकार किया जाकर चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 103/54, मुरब्बा नं0 2, 34, 48 में कुल तादादी 4.213 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता की भूमि में से वादी के नाम से 3098/4213 हिस्सा अर्थात् 3.098 है0 नहरी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी एवं माडी से माडी (meets and bound) के आधार पर (समस्त सह कास्तकारान एवं समस्त पक्षकारान) की मौजुदगी मे राजस्थान कास्तकारी (राजस्व मण्डल नियम) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करे वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे यथा प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हो।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 मई, 2023 को जारी किया गया।

संजय कुमार
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रारम्भिक डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय कुमार , आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 2021/158
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति अरोडा निवासी 12 जी छोटी हाल 2 ए 35 जवाहरनगर श्रीगंगानगर राज0

....वादी

ब ना म

1. बलविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति अरोडा निवासी 12 जी छोटी हाल 36 एच ब्लॉक श्रीगंगानगर राज0
2. बलबीर कौर पत्नी स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्र कौर पुत्री स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. तेज कौर पुत्री स्व0 श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
7. एच. डी. एफ. सी. बैंक शाखा श्रीगंगानगर जरिये प्रबंधक।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री राजेश गुम्बर (वादीगण)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 6)

दिनांक 19 मई, 2023

वादपत्र संख्या 2021/158
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर एवं पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 06 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि – चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 103/54, मुरब्बा नं0 2, 34, 48 में कुल तादादी 4.213 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता की भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से 3098/4213 हिस्सा अर्थात् 3.098 है0 नहरी कृषि भूमि में से अच्छी से अच्छी एवं माडी से माडी (meets and bound) के आधार पर (समस्त सह कास्तकारान एवं समस्त पक्षकारान) की मौजुदगी मे राजस्थान कास्तकारी (राजस्व मण्डल नियम) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करे।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 मई, 2023 को जारी की गयी

Sanjay
संजय कुमार
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

संजय कुमार
(आर.एच.जे.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
(श्रीगंगानगर)